संख्या-15/2017/1116/35-3-2017-1(51)/2015

प्रेषक,

नीना शर्मा,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,

जनपद-मुजफ्फर नगर,मुरादाबाद,मेरठ,गाजियाबाद,गौतमबुद्ध नगर,बुलन्दशहर,मथुरा, आगरा,फिरोजाबाद,बदायूं, बरेली, पीलीभीत,खीरी, सीतापुर,उन्नाव,लखनऊ,रायबरेली,फर्रूखाबाद,कानपुर देहात,झांसी,ललितपुर, महोबा, चित्रकूट,प्रतापगढ, इलाहाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर,सुल्तानपुर, बहराईच, श्रावस्ती, गोण्डा, बस्ती,संतकबीर नगर, महराजगंज,कुशीनगर, आजमगढ,मऊ,बलिया,जौनपुर,गाजीपुर ,वाराणसी, सोनभद्र,एटा, शामली, सम्भल एवं हापुड।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 28 जुलाई, 2017

विषयः राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नए व्यक्तियों को डेटाबेस में समाहित करने संबंधी कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपको प्रेषित संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0 के पत्रांक-डीसीओ-यूपी/डीडीई/एसपीएमयू/411, दिनांक 17 जुलाई, 2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित समय सीमा दिनांक 31.12.2016 तक प्रश्नगत कार्य को पूर्ण कराने संबंधी शासन के निर्देशों के उपरांत भी आपके जनपदों में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण राष्ट्रीय महत्व के इस संवेदनशील कार्य को प्रदेश स्तर पर पूर्ण करने में अत्यन्त विलम्ब हो रहा है।

अस्तु अनुरोध है कि प्रश्नगत कार्य को जनगणना कार्य निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 17.07.2017 में निहित निर्देशों/प्रक्रिया के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता पर अविलम्ब पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(नीना शर्मा)
सचिव।

संख्या-15/2016/1116(1)/35-3-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए मानसिंह रोड,नई दिल्ली-110011
2. समस्त संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, अर्थ एवं सख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक,जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र सं0-डीसीओ-यूपी/डीडीई/एसपीएमयू/411, दिनांक 17.07.2017 के संदर्भ में।

आज्ञा से

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in